न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 49/2023 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

रकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. संजय कुमार पाण्डया पुत्र सत्यनारायण पाण्डया मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा
2. अमित कुमार तोषनीवाल पुत्र राजेन्द्र तोषनीवाल मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एंसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा
3. मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा

– प्रार्थी

–विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 06.09.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी संजय कुमार पाण्डया पुत्र सत्यनारायण पाण्डया मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को चाय पत्ती, आटा नमकीन मसाले आदि का विकय कर रहा था। संजय कुमार पाण्डया पुत्र सत्यनारायण पाण्डया मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विकेता फर्म पर चाय पत्ती पैकेट विकय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)